संख्या-19/2022/बी-2-210/002-1400200212021

प्रेषक,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2022

विषय:-पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह अगस्त, 2022 हेतु सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे अवगत कराना है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को सामान्य समनुदेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2022- 23के बजट में अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के लेखाशीर्ष- 3604 में स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु व्यवस्थित धनराशि रूपये 7200.00 करोड़ में से माह अप्रैल 2022 के लिये शासनादेश संख्या-9/2022/बी-2-139/002-10-1400-002-1-2021, दिनांक 28.04.2022 द्वारा धनराशि रूपये 600.00 करोड़, शासनादेश संख्या-12 /2022/बी-2-149 /002-10-140000212021 दिनांक 24 मई ,2022 द्वारा धनराशि रूपये 600.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-14/2022/बी-2-172/001-10140020021 2021 दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 600.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-16/2022/बी-2-172/001-10140020021 2021 दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 600.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

2- अब माह अगस्त, 2022 हेतु पंचायतीराज संस्थाओं के लिये सामान्य समनुदेशन हेतु रूपये 600.00 करोड़ (छः सौ करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है जिसे मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष मे स्वीकृत कुल धनराशि रूपये 3000.00 करोड़ (रूपये तीन हज़ार करोड़ मात्र) हो जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि अब स्वीकृत की जा रही रूपये 600.00 करोड की धनराशि पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार

द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

(2) पंचायती राज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।

(4) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायती राज संस्थाओं का बैंक खाता आई.एफ.एस.सी कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(5) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(7) पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

क्र.सं	**निकाय का नाम**	**लेखाशीर्ष**	**धनराशि (करोड़ में)**
1.	जिला परिषद /जिला स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 196- जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन"	90.00
2.	ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को	90.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	
3.	ग्राम पंचायत	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	420.00
योग			600.00

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2022/ बी-2-210/002-101400200212021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2,
5- पंचायती राज अनुभाग-3,
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।